आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

5.7.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0– 225/2015–16

मो0 सुंदरी खातुन, पिता–स्व0 सबहर अली, सा0–डोमाई संदलपुर,
थाना+जिला–अररिया – वादी

बनाम

मो0 दराजउद्दीन, पिता–स्व0 सबहर अली, सा0–डोमाई संदलपुर,
थाना+जिला–अररिया – प्रतिवादी

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदिका सुंदरी खातुन, पति–स्व0 सबहर अली, सा0–डोमाई संदलपुर, थाना+जिला–अररिया की ओर से निम्न विवरण की भूमि का बिहार दाखिल अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत दर्ज जमाबंदी को रद्द करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 27.11.2015 को दाखिल किया गया। आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को प्रविष्टि के बिन्दु पर सुना गया तथा उनके तर्क से सहमत होते हुए इस वाद को दिनांक 17.12.2015 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकबा
डोमाई	318	15	30 15	1.20 ए0 0.06 ए0 **कुल 1.26 ए0**

विपक्षी को सूचना दी गई। दिनांक 27.02.2016 को उभय पक्ष की ओर से संधि आवेदन पत्र दाखिल किया गया। पुनः दिनांक 11.06.2016 को संशोधित संधि पत्र दाखिल किया गया। संधि पत्र का अवलोकन किया। संधि पत्र पर उभय पक्षों एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता का हस्ताक्षर मौजूद पाया गया। संधि पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी के माता स्व0 सकीना खातुन, पति–स्व0 सईदुर (सबदर) अली के नाम से थी। जो अपने पिछे एक पुत्र मो0 दराजउद्दीन (विपक्षी) एवं एक पुत्री बीबी सुंदरी खातुन (वादी) को छोड़कर स्वर्गवास हुई। मुस्लिम कानून के अनुसार स्व0 माता की जमीन में पुत्र का 2 हिस्सा एवं पुत्री का एक हिस्सा होता है। किन्तु माँ के नाम से दर्ज जमाबंदी सं0 84 में छेड़छाड़ कर अंचल द्वारा विपक्षी मो0 दराजउद्दीन के नाम पूर्ण भूमि का राजस्व रसीद निर्गत कर दिया गया है, जो सही नहीं है।

वादग्रस्त भूमि में आवेदिका का खाता सं0 15, खेसरा सं0 30, रकवा 40 डी0 जानीव पूरब एवं खेसरा सं0 35, रकवा 2 डी0 जानीव उत्तर से कुल रकवा 42 डी0 पर आवेदिका का दखल–कब्जा है। शेष भूमि खेसरा सं0 30, रकवा 80 डी0 एवं खेसरा सं0 35, रकवा 4 डी0 से आवेदिका को कोई सरोकार नहीं है। जिसपर विपक्षी द्वारा भी संधि पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है। संधि पत्र को इस आदेश का अंश मानते हुए अंचलाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि जमाबंदी सं0 84 में आवेदिका सुंदरी खातुन का नाम दर्ज कर रकवा 42 डी0 का हिस्सा अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

पारित आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, अररिया को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०-
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह० 5.7.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 96 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 05/07/2016

प्रतिलिप : अंचल अधिकारी, अररिया को निम्न न्यायालय का जमाबंदी सुधार वाद सं0 04/2015–16 मूल एवं संधि पत्र की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5.7.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया